Administration of Daman & Diu; UT Department of Value Added Tax

No.DMN/VATSoft/2012-2013/ 3 3 8 9

Dated: 09/01/2013

Subject: -Online application for C Forms through VATSoft Dealer Login

CIRCULAR

With reference to the above mentioned subject, Department of VAT – UT of Daman & Diu brings to the notice of all the registered dealers that now onwards they can apply for C Forms online through the e-CST module w.e.f. 01/02/2013. Subsequently upon online approval of the application from the concerned officer, the dealer can take a print of the system generated Form C from their respective login.

It is also very important that the dealers should ensure that they have filed their returns online for the last three months / last quarter as the case may be and also have submitted the utilization details of the previously collected C and other Statutory Forms in order to activate the e-CST link for them. All the dealers are thus hereby requested to contact the VAT office to get their e-CST link activated for the same.

Deputy Commissioner (VAT)

Daman & Diu

Copy To:-

- 1. The President, DIA, Daman
- 2. The President, Hoteliers Association, Daman
- 3. The President, Liquor Association, Daman
- 4. The President, Distilleries Association, Daman
- 5. The President, Merchant Association, Daman
- 6. The DIO, NIC, Daman and Diu for publication in website
- 7. All notice boards

संघ प्रदेश दमण एवं दीव मूल्य वर्धित कर विभाग

स.दमण/वैट सॉफ्ट/2012-13/ ३३६-९

दिनांक :- 09/01/2013

विषय: - वैट सॉफ्ट डीलर लॉगईन के जरिए C-प्रपत्र के लिए ऑनलाईन आवेदन।

प रिप त्र

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वैट विभाग, संघ प्रदेश दमण एवं दीव सभी पंजीकृत डीलरों के ध्यान में लाया जाता है कि अब से अर्थात् दिनांक 01.02.2013 से वे e-CST Module के जिरए C-प्रपत्र के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं । संबंधित अधिकारी से आवेदन के आनटाईन अनुमोदन के बाद डीलर संबन्धित लॉगईन से सिस्टम जेनरेटेड C-प्रपत्र का प्रिंट ले सकते हैं ।

यह भी महत्वपूर्ण है कि डीलर यह भी सुनिश्चित करें कि उन्होंने पिछले 03 महीनों / िंडले तिमाह - जैसा भी मामला हो, से संबंन्धित अपना विवरण ऑनलाईन भरा हो और उन्होंने e-CST Link को सिक्रय करने के लिए पहले से लिये गये C-प्रपत्र और अन्य वैधानिक प्रपत्नों के उपयोग संबंधी विवरण भी जमा कर दिया गया है । उक्त हेतु e-CST Link को सिक्रय कराने के चिए सभी डीलरों को एतदद्वारा वैट कार्यालय में संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है ।

उपायुक्त (वैट) दमण एवं दीव

प्राटिति हैं

- 1. अध्यक्ष, जिला उदयोग संघ, दमण ।
- 2 अध्यक्ष, होटल संघ, दमण ।
- 3. अध्यक्ष, लीकर संघ, दमण I
- 4. अध्यक्ष, डिस्टलरी संघ, दमण I
- 5 अध्यक्ष, व्यापारी संघ, दमण ।
- 6. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान कार्यालय, दमण एवं दीव को वेबसाईट में प्रकाशन हेत् ।
- 7 सभी नोटिस बोर्ड ।